

मध्यप्रदेश राज्य वन नीति-2005

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	2	3
1-	प्रस्तावना	1
2	उद्देश्य	3
3	उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति	4
3.1	पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु वन क्षेत्रों का विस्तार एवं विकास	4
3.2	सीमांकन	5
3.3	वन सुरक्षा	5
3.3.1	अवैध कटाई	5
3.3.2	अतिक्रमण	6
3.3.3	वनभूमि पर उत्खनन एवं अन्य गैर वानिकी कार्य	6
3.3.4	अनियंत्रित चराई	7
3.3.5	अग्नि प्रबंधन	7
3.3.6	कीटों एवं रोगों से सुरक्षा	7
3.4	वन प्रबन्धन	7
3.5	शासकीय वनों में इमारती लकड़ी जलाऊ लकड़ी एवं बांस का उत्पादन	8
3.6	अकाष्ठीय वनोपज का उत्पादन, संवहनीय विदोहन, मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन	8
3.7	औषधीय प्रजातियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं संवहनीय विदोहन	9
3.8	लोक वानिकी एवं विस्तार वानिकी	9
3.9	वनाधारित उद्योग	11
3.10	संयुक्त वन प्रबन्धन	12
3.11	अधिकार एवं रियायतें (निस्तार)	13
3.12	वनाश्रित समुदायों का विकास	13
3.13	वनाश्रित आदिवासियों, भूमिहीनों एवं महिलाओं का सशक्तीकरण	13
3.14	जैव विविधता संरक्षण	14
3.15	वन्यप्राणी संरक्षण	14
3.15.11	वन्यप्राणी —मानव द्वंद को कम करना	15
3.15.12	वन्यप्राणियों के अवैध शिकार की रोकथाम	16
3.16	ईको-टूरिज्म	16
3.17	सूचना-प्रौद्योगिकी का उपयोग	17
3.18	अनुसंधान एवं विस्तार	17
3.19	मानव संसाधन विकास	18
3.20	प्रचार-प्रसार	20
3.12	वित्तीय व्यवस्था	20
4	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	21

1. प्रस्तावना —

मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र देश में सर्वाधिक है। जैव विविधता में समृद्ध होने तथा अनेक महत्वपूर्ण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र होने के कारण प्रदेश के वन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः देश के पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय संतुलन तथा जल संरक्षण में प्रदेश के वनों का विशिष्ट योगदान है। वन्य जीव संरक्षण में भी प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश के वन क्षेत्र का लगभग 11.4 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य) वन्यप्राणी प्रबंधन के अधीन है। देश के बाधों की आबादी का लगभग 20 प्रतिशत एवं विश्व का लगभग 10 प्रतिशत मध्यप्रदेश में है, इसीलिए प्रदेश को 'टाईगर स्टेट' की संज्ञा दी गई है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 ने वन प्रबंधन एवं सुरक्षा को नया आयाम दिया है। इस नीति के अनुसार वनों के पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय महत्व को सर्वोपरि माना गया है तथा वनाश्रित समुदायों के वनों पर अधिकार को प्राथमिकता दी गई है। वनों का प्रबंधन बाजारोन्मुखी न होकर वनाश्रित समुदायों, विशेषकर आदिवासी महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्गों, के लिए जीविकोन्मुखी हुआ है।

राष्ट्रीय वन नीति की भावना के अनुरूप वनों के प्रबंधन में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। पिछले दशक में संवहनीय वन प्रबंधन (सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट) में जन भागीदारी के लिए गए प्रयासों से वनों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में प्रदेश का शत-प्रतिशत वन क्षेत्र वैज्ञानिक प्रबंधन के अधीन है। वनाच्छादित क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है। देश के काष्ठ एवं अकाष्ठीय वनोपज के उत्पादन में प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है। साथ ही औषधीय प्रजातियों के पौधों के बढ़ते हुए सामाजिक एवं आर्थिक महत्व के दृष्टिगत इनका शासकीय वनों में संरक्षण, संवर्द्धन एवं विनाशविहीन विदोहन सुनिश्चित करने एवं निजी भूमि पर भी इनका उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनाश्रित समुदायों, विशेषकर आदिवासियों, अन्य कमजोर वर्गों एवं महिलाओं, को वन प्रबंधन एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका दी गई है। संवहनीय वन प्रबंधन में जन भागीदारी के फलस्वरूप स्थानीय तकनीकी ज्ञान (इण्डीजीनस टैक्नीकल नॉलेज) का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। संयुक्त वन प्रबंधन को अधिकाधिक जनाधारित बनाने एवं वनाश्रित समुदायों को अधिकाधिक लाभ देने हेतु समय-समय पर इस हेतु जारी शासन संकल्पों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया गया है।

बढ़ती जनसंख्या एवं विकास की आवश्यकताओं के फलस्वरूप काष्ठ एवं अकाष्ठीय वनोपज की निरन्तर बढ़ती मांग एवं आपूर्ति के अंतर को कम करने तथा शासकीय वनों पर दबाव कम करने हेतु विस्तार वानिकी के क्षेत्र में भी प्रयास किये जा रहे हैं। विस्तार वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन संबंधी नियमों को सरलीकरण की आवश्यकता है। साथ ही किसानों की आवश्यकता के अनुरूप उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराने एवं वनावरण (ट्री-कवर) के विस्तार हेतु भी सघन प्रयासों की आवश्यकता है। निजी भूमि पर वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु लोक वानिकी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर स्थित वृक्षाच्छादित क्षेत्रों का प्रबंध योजना के आधार पर प्रबंधन कर सकता है।

वनाधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसा वैधानिक एवं प्रशासनिक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत वनाधारित उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति हेतु पड़त भूमि एवं किसानों के सहयोग से उनकी निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर सकें ताकि ऐसे उद्योग मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हो सकें।

इन प्रयासों के बाद भी जैविक दबाव एवं संसाधनों की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में वनों का हास हुआ है, विशेषकर अर्ध-शुष्क (सेमी-एरिड) क्षेत्रों में वनों की स्थिति खराब हुई है जिसके फलस्वरूप मृदा क्षरण, बीहड़ों का विस्तार एवं मरुस्थलीकरण हो रहा है। नदियों में जल प्रवाह एवं भूमिगत जल भण्डार भी विपरीत रूप से प्रभावित हुए हैं। अतः वनों में "जलागम (वाटरशैड) आधारित प्रबन्धन" किया जाना आवश्यक हो गया है।

वनों के समुचित प्रबन्धन हेतु प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर समानुपातिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधन आंकलन (नेचुरल रिसोर्स एकाउन्टिंग) पद्धति प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है ताकि वनों से प्राप्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के अनुरूप ही वन संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा सकें। साथ ही आर्थिक एवं अन्य संसाधनों के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने एवं अन्य स्रोतों जैसे कि पर्यावरणीय कर, जल कर, बाह्य अनुदान, ऋण आदि से भी संसाधन जुटाए जाने की आवश्यकता है। अत्यधिक बिगड़े हुए शासकीय वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है।

विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वनोत्पादों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वनोत्पादों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रदेश के वनोत्पादों का समुचित मूल प्राप्त हो सके।

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं प्राकृतिक सौन्दर्यीकरण तथा हरियाली बढ़ाने की दृष्टि से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। इस हेतु विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों, स्वयं-सेवी संस्थाओं तथा जनसामान्य का समुचित सहयोग लिया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों एवं ग्रामों में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों जैसे वैट लैण्ड, सेक्रेड ग्रोव, वृक्षाच्छादित क्षेत्र, पहाड़ी आदि को संरक्षित करने की भी आवश्यकता है।

वर्तमान में वन कर्मियों के समक्ष अनेक नए कार्य एवं चुनौतियां हैं। ऐसी स्थिति में यह नितांत आवश्यक है कि उन्हें इन कार्यों एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त ज्ञान, कौशल एवं संसाधन उपलब्ध कराकर सक्षम किया जाए। इस दृष्टि से मानव संसाधन विकास के प्रयासों को एक नई दिश देनी होगी। आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने के लिए वन प्रबन्धन में सूचना प्रौद्योगिकी को भी अंगीकार किए जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्पष्ट दृष्टिकोण एवं रणनीति की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश के पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए वनों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं संवहनीय उपयोग के लिए युक्तियुक्त वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से वनों का प्रबन्धन इस प्रकार किया जाएगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन एवं भू-जल संरक्षण के साथ-साथ वनाश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ताकि वन संसाधनों के विकास के साथ इन समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके।

2. उद्देश्य

राज्य वन नीति के मूल उद्देश्य निम्नसनुसार है :-

- 2.1 वन/वृक्षाच्छादित क्षेत्र का विस्तार कर भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई करने हेतु प्रयास करना।
- 2.2 वनों के संवहनीय प्रबन्धन से शासकीय वनों एवं निजी वनाच्छादित क्षेत्र का विकास कर पर्यावरण की स्थिरता तथा पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करना।
- 2.3 वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन के लिए हितकारी घटकों बलों तथा तंत्रों को सुदृढ़ करना।
- 2.4 इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बांस, चारे तथा लघु वनोपज के उपयोग का युक्तियुक्तकरण करते हुए इनका अधिकाधिक उत्पादन करना तथा वनाश्रित परिवारों हेतु वनाधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता के लिए वातावरण निर्मित करना।
- 2.5 काष्ठ की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए 10 प्रतिशत वन क्षेत्र काष्ठ उत्पादन हेतु सघन प्रबन्धन के अधीन रखना।
- 2.6 अकाष्ठीय वनोपज, विशेषकर वन औषधियों, का उत्पादन बढ़ाना इनका संवहनीय विदोहन, मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन सुनिश्चित कर वनाश्रित समुदायों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना।
- 2.7 कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना विस्तार वानिकी को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बांस रोपण को बढ़ावा देकर इसे ग्रामीणों की आय का साधन बनाना एवं निजी तथा राजस्व वनाच्छादित क्षेत्रों का लोक वानिकी के क्रियान्वयन से बेहतर प्रबन्धन सुनिश्चित करना।
- 2.8 वनाधारित उद्योगों द्वारा कच्चे माल का स्वयं उत्पादन करने के लिए आवश्यक वैधानिक वातावरण निर्मित करना तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- 2.9 वनों के संवहनीय विदोहन से प्राप्त उत्पादों को केवल आय का स्रोत न मान कर इनके उपयोग में स्थानीय समुदायों की सामाजिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।
- 2.10 वनों से समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर वनाश्रित आदिवासी समुदायों एवं महिलाओं के पर्यावरणीय, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव के दृष्टिगत इन समुदायों के संवहनीय विकास के लिए प्रयास करना।

- 2.11 अनियंत्रित चराई एवं सिरबोझ से जलाऊ लकड़ी लाने से वनों को होने वाली क्षति को कम करना।
- 2.12 शासकीय वनों पर दबाव कम करने हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना।
- 2.13 जैव विविधता संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, वन्यप्राणियों के प्रबंधन एवं वनवासियों की आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी जैव विविधता संरक्षण के उपाय करना।
- 2.14 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं वनाश्रित समुदायों के लाभार्थ वन क्षेत्रों में ईको टूरिज्म एवं हर्बल-हैल्थ टूरिज्म का विकास करना।
- 2.15 वन अनुसंधान एवं विस्तार को वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा प्रदान करना।
- 2.16 वन कर्मियों एवं वन समितियों के सदस्यों को पूरी क्षमता एवं लगन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें समय-समय पर पारम्परिक एवं आधुनिक तकनीक एवं कौशल उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना।
- 2.17 वानिकी क्षेत्र में वृहद स्तर पर वनीकरण कार्य हेतु निजी निवेश को आकर्षित करना।

3. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति

- 3.1 पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु वन क्षेत्रों का विस्तार तथा विकास
 - 3.1.1 प्रदेश के वनों का एक तिहाई भाग बिगड़ा वन है जिसकी दशा भू-क्षरण एवं घटते पुनरुत्पादन के कारण चिन्ताजनक है। इन क्षेत्रों की विस्तृत सर्वेक्षण से पहचान कर उनका स्थल विशेष की आवश्यकतानुसार उपचार कर वनों को पुनर्स्थापित करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा।
 - 3.1.2 प्रदेश के वृक्षविहीन हो चुके वन क्षेत्रों, जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश के रेगिस्तानी क्षेत्रों, में महिलाओं सहित स्थानीय समुदायों के सहयोग से वृहद स्तर पर वनीकरण कार्य किया जाएगा जिससे पर्यावरण संतुलन स्थापित होगा, रेगिस्तान का फैलाव रुकेगा तथा स्थानीय समुदायों विशेषकर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा।
 - 3.1.3 जल एवं मृदा संरक्षण की दृष्टि से राज्य की नदियों के जलागम क्षेत्रों एवं भू-क्षरण के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का उपचार आवश्यक है। अतः इन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्य एवं जल ग्रहण क्षेत्र उपचार (कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) कर यथा संभव वृक्षाच्छादित किया जाएगा। इसके लिए योजनाबद्ध रूप से वृहद स्तर पर जन

सहयोग से सघन वन क्षेत्रों में सहायक पुनरूत्पादन कार्य, बिगड़े वन क्षेत्रों एवं पड़त भूमि में वनों का सुधार, उपयुक्त स्थानों पर सिंचित वृक्षारोपण एवं विस्तार वानिकी के अंतर्गत प्रक्षेत्र वानिकी (फार्म फॉरेस्ट्री) तथा कृषि वानिकी के द्वारा निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण कर वनाच्छादन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

- 3.1.4 निजी भूमि पर उगे हुए वृक्षों को काटने परिवहन करने तथा विपणन करने में वर्तमान में भूमि स्वामिकयों को आ रही वैधानिक अड़चनों को दूर करने के लिए विद्यमान नियमों का आवश्यकतानुसार सरलीकरण किया जाएगा ताकि आम जनता, निजी संस्थाएँ तथा वनों पर आधारित उद्योग विस्तार वानिकी एवं लोक वानिकी हेतु प्रोत्साहित हो सकें।
- 3.1.5 वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन को सुदृढ किया जाएगा एवं इनके बाहर के वन क्षेत्रों में भी जैव विविधता संरक्षण हेतु उपाय किए जायेंगे।
- 3.1.6 सड़कों, नहरों एवं रेलमार्गों के किनारे तथा पड़त भूमि में रोपित वृक्षारोपणों का समुचित प्रबन्धन और रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इन क्षेत्रों में वृक्षों के संरक्षण हेतु शहरी क्षेत्रों में लागू किए गए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट का विस्तार इन क्षेत्रों पर भी किया जाएगा।
- 3.1.7 समस्त वन क्षेत्रों एवं वनों के बाहर के क्षेत्रों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय स्थायित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3.1.8 शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन एवं ग्राउण्ड वाटर रीचार्जिंग हेतु ग्रीन बैल्ट विकसित की जाएगी एवं विद्यमान ग्रीन बैल्ट क्षेत्र के भूमि उपयोग का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 3.1.9 पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे अमरकंटक, पचमढ़ी, तामिया, बैतुल एवं निमाड आदि को सूचीबद्ध कर उनका समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

3.2 सीमांकन

- 3.2.1 वन क्षेत्रों की सीमाओं के समस्त लम्बित विवादों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत निराकृत किया जाएगा एवं वनखण्डों का सीमांकन सुनिश्चित किया

जाएगा। नारंगी क्षेत्रों एवं अन्य राजस्व वनों को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सीमांकित कर उपयुक्त क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाएगा।

3.2.2 वनक्षेत्रों का व्यवस्थापन शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा।

3.2.3 वन भूमि के अभिलेखों के संधारण हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाएगा एवं वन अभिलेख संधारण की पृथक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

3.2.4 वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन होने तक वन ग्रामों में विद्युतीकरण, पहुंच मार्गों तथा पेयजल इत्यादि अन्य मौलिक सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

3.3 वन सुरक्षा

3.3.1 अवैध कटाई

3.3.1.1 वन सुरक्षा विशेषकर अवैध कटाई की रोकथाम से सम्बन्धित वर्तमान प्रणाली, नियमों, अधिनियमों एवं प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इस हेतु वन कर्मियों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जायेंगे।

3.3.1.2 वन सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बेतार तंत्र एवं अन्य संबंधित संचार सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

3.3.1.3 परिक्षेत्र स्तर तक वनों की सुरक्षा हेतु कार्यरत समस्त अधिकारियों को वाहन एवं अन्य संसाधन प्रदाय किए जायेंगे।

3.3.1.4 संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।

3.3.1.5 वन कर्मियों को वनों की सुरक्षा हेतु शस्त्र उपलब्ध कराए जायेंगे एवं उन्हें उनके उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

3.3.1.6 ऐसे क्षेत्रों में वन चौकी व्यवस्था विकसित की जायेगी एवं समूह गश्ती के प्रयास किए जायेंगे।

3.3.1.7 वन सुरक्षा में स्थानीय समुदायों का अधिकाधिक सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

3.3.1.8 वन अपराधों के शीघ्र निराकरण हेतु जिला स्तर पर विशिष्ट अदालतों की स्थापना कराने की पहल की जायेगी।

- 3.3.1.9 वनों से अवैध कटाई करने वालों के साथ ही उनमें अवैध कटाई हेतु प्रेरित करने अथवा उकसाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।
- 3.3.1.10 अवैध कटाई की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के समीप, बसे ग्रामीणों को ग्राम में ही रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जायेंगे, ताकि वे वनों पर अधिक निर्भर नहीं रहे।
- 3.3.1.11 अवैध कटाई की सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखते हुए उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 3.3.1.12 वनों की सुरक्षा में साहसिक कार्य एवं उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, स्थानीय समुदायों एवं वन कर्मियों की सहायता के क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारी कल्याण संबंधी विशेष योजनाएं लागू की जायेगी।

3.3.2 अतिक्रमण

- 3.3.2.1 वन क्षेत्रों में अतिक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाया जायेगा तथा भविष्य में वनभूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण नहीं करने दिए जायेंगे।
- 3.3.2.2 वनों में अतिक्रमण करने वालों के साथ ही उनको अतिक्रमण हेतु प्रेरित करने अथवा उकसाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।
- 3.3.2.3 अतिक्रमित क्षेत्र में वृद्धि रोकने के उद्देश्य से वर्तमान में व्यवस्थापित अतिक्रमित क्षेत्रों को शीघ्रतापूर्वक स्थायी रूप से सीमांकित किया जायेगा।
- 3.3.2.4 अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में जन सहयोग से वृक्षारोपण किया जायेगा।
- 3.3.2.5 अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील वन क्षेत्रों के समीपवर्ती ग्रामों में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

3.3.3 वन भूमि पर उत्खनन एवं अन्य गैर वानिकी कार्य

- 3.3.3.1 वन क्षेत्रों में उत्खनन सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। नियम विरुद्ध उत्खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा अवैध उत्खनन पर सख्ती से रोक लगायी जायेगी।

- 3.3.3.2 वन भूमि का उपयोग उत्खनन हेतु किये जाने पर संबंधित एजेंसी से सम्पूर्ण उत्खनित क्षेत्र का स्थल विशेष की आवश्यकता के अनुरूप पुनर्वनीकरण कराया जायेगा।
- 3.3.3.3 सामान्यतः वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों को अनुमति नहीं दी जायेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार ही गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।
- 3.3.3.4 समस्त उत्खनित क्षेत्रों के पुनर्वनीकरण तथा अन्य गैर वानिकी कार्यों हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन के एवज में किए जाने वाले वैकल्पिक वृक्षारोपण में मूल प्रजातियों का रोपण तथा समुचित गुणवत्ता का वनीकरण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3.3.3.5 वनों में अवैध उत्खनन करने वालों के साथ ही उनको अवैध उत्खनन हेतु प्रेरित करने अथवा उकसाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।
- 3.3.3.6 बिगड़े वनों में स्थित उत्खनन क्षेत्रों के प्रबन्धन एवं उपचारण का प्रावधान कार्य आयोजना में सम्मिलित किया जावेगा।

3.3.5 अग्नि प्रबन्धन

- 3.3.5.1 वनों में अग्नि के उपयोगी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश के वनों में अग्नि के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन कर नई अग्नि सुरक्षा की पद्धति विकसित की जायेगी।
- 3.3.5.2 वन-अग्नि नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग किया जायेगा।

3.3.6 कीटों एवं रोगों से सुरक्षा

वनों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं नाशकारी वन कीटों से सुरक्षा हेतु समुचित वन प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जायेगी।

3.4 वन प्रबन्धन

- 3.4.1 वनों के प्रबन्धन के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्य आयोजनायें तैयार की जायेंगी जिनका समय समय पर पुनरीक्षण किया जायेगी।

- 3.4.2 समस्त वन क्षेत्रों का प्रबन्धन कार्य आयोजना के अनुसार ही किया जायेगा। अत्यधिक आयु की क्षीण हो चुके जड़ भण्डार वाले क्षेत्रों में रोपण द्वारा उच्च (बीज-जनित) वनों का विस्तार किया जायेगा।
- 3.4.3 वन प्रबन्ध में वनाश्रित समुदायों के नैसर्गिक जुड़ाव के दृष्टिगत वन प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य राजस्व आय प्राप्ति न होकर इन समुदायों के हितों को प्राथमिकता प्रदान करना होगा।
- 3.4.4 प्राकृतिक वन क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 3.4.5 कार्य आयोजना की रूपरेखा के अंतर्गत रहते हुए संयुक्त वन प्रबन्धन के क्षेत्रों की सूक्ष्म प्रबन्ध योजना तैयार की जायेगी।
- 3.4.6 वन क्षेत्रों का कम से कम 10 प्रतिशत सघन प्रबन्धन के अधीन रखा जायेगा। इस हेतु अच्छी स्थल गुणवत्ता (Site Quality) के बिगड़े वनों का चयन किया जायेगा।
- 3.4.7 समय-समय पर उपलब्ध आधुनिक तकनीकों का वन प्रबन्धन में अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा।
- 3.5 शासकीय वनों में इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं बांस का उत्पादन
- 3.5.1 प्रदेश में इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी तथा बांस की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने के लिए प्राकृतिक पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर तथा वन वर्द्धन की अद्यतन तकनीकों का उपयोग कर वनों की उत्पादकता बढ़ाई जायेगी।
- 3.5.2 इमारती काष्ठ का उत्पादन बढ़ाने के लिए कम से कम 10 प्रतिशत वन क्षेत्र काष्ठ उत्पादन हेतु सघन प्रबन्धन के अधीन रखा जायेगा। इस हेतु अच्छी स्थल गुणवत्ता के बिगड़े वन क्षेत्रों का चयन किया जायेगा।
- 3.5.3 व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण वानिकी प्रजातियों के अनुवांशिक सुधार हेतु ऐसी प्रजातियों के गुणों की पहचान कर बायों-प्रौद्योगिकी की तकनीकों का उपयोग किया जायेगा।
- 3.5.4 बीहड़ों के विस्तार को रोकने एवं बिगड़े वनों में मृदा तथा जल संरक्षण के लिए इस हेतु उपलब्ध परम्परागत एवं आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जायेगा।

- 3.5.5 ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में बांस के महत्व के दृष्टिगत बांस के वनों का विस्तार किया जायेगा तथा विद्यमान बांस वनों के हास को रोकने एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा।
- 3.5.6 अत्यधिक बिगड़े हुए शासकीय वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु ऐसे वन क्षेत्रों को उनके संपूर्ण भौगोलिक विवरण सहित सूचीबद्ध कर उनमें वनीकरण हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने की पहल की जाएगी।
- 3.6 अकाष्टीय वनोपज का उत्पादन, संवहनीय विदोहन मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन
- 3.6.1 प्रदेश के वनवासियों के आर्थिक विकास हेतु वन क्षेत्रों एवं वनों के बाहर अकाष्टीय वनोपज के उत्पादन में वृद्धि एवं उनका संवहनीय तथा विनाशविहीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3.6.2 अकाष्टीय वनोपज के प्रसंस्करण करने हेतु ग्राम स्तरीय योजनायें क्रियान्वित की जायेगी।
- 3.6.3 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के माध्यम से अकाष्टीय वनोपज के संग्रहण, गोदामीकरण एवं विपणन हेतु सूचना प्रणाली विकसित की जायेगी।
- 3.6.4 महत्वपूर्ण अकाष्टीय वनोपज देने वाली प्रजातियों की पहचान कर उनके उत्पादों के संग्रहण एवं मूल्य संवर्द्धन में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से उनके आनुवांशिक प्रलेख एवं सक्रिय घटकों के रसायनिक विश्लेषण संबंधी कार्य प्रारम्भ किए जायेंगे।
- 3.7 औषधीय प्रजातियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं संवहनीय विदोहन
- 3.7.1 औषधीय प्रजातियों के बढ़ते महत्व एवं स्वदेशी चिकिस्ता हेतु इनकी अत्यधिक मांग के दृष्टिगत शासकीय वनों में औषधीय प्रजातियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विनाश विहीन विदोहन किया जायेगा तथा उनके रोपण क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु निजी भूमि पर भी उनका बाह्य स्थलीय उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 3.7.2 औषधीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्हें सूचीबद्ध किया जाकर इनके आवास स्थलों के संरक्षण एवं संवहनीय विदोहन के लिए विस्तृत योजना तैयार की जायेगी।
- 3.7.3 औषधीय वनोपज के मूल्य संवर्द्धन हेतु स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रसंस्करण हेतु कौशल एवं तकनीक उपलब्ध कराई जायेगी ताकि स्थानीय जनता के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

- 3.7.4 अत्यधिक बिगड़े हुए शासकीय वनों में वृहद स्तर पर औषधीय प्रजातियों के रोपण हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने की पहल की जायेगी।
- 3.7.5 औषधीय वनोपज एवं उनके प्रसंस्कृत उत्पादों का विपणन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुचित व्यवस्था विकसित की जायेगी।
- 3.7.6 औषधीय एवं सुगंधित पौधों के उत्पादों में जैव प्रौद्योगिकी की आधुनिक एवं पारम्परिक तकनीकों के माध्यम से उनके अवयवों की गुणवत्ता में सुधार कर मूल्य संवर्द्धन का प्रयाय किया जायेगी।
- 3.7.7 औषधीय पौधों के औषधीय अवयवों की गुणवत्ता जांच एवं प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी।
- 3.7.8 औषधीय पौधों के पारंपरिक ज्ञान सम्पन्न व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर उनके पारंपरिक औषधीय ज्ञान को अभिलिखित कर उनका समावेश जन स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों में किया जायेगा।
- 3.8 लोक वानिकी एवं विस्तार वानिकी
- 3.8.1 शासकीय वनों पर दबाव कम करने हेतु लोक वानिकी के माध्यम से निजी भूमि एवं राजस्व वन भूमि पर वानिकी एवं उसके वैज्ञानिक प्रबन्धन को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु लोक वानिकी अधिनियम/नियमों का सुदृढीकरण किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसमें संशोधन किया जायेगा।
- 3.8.2 काष्ठ की आवश्यकता की पूर्ति यथा संभव वनों के बाहर से करने हेतु ग्रामीणों/कृषकों को खेतों की मेड़ों तथा निजी पड़त भूमि पर वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु उल्लेखनीय कार्य करने वाले कृषकों को पुरस्कृत करने हेतु समुचित योजना लागू की जायेगी। कम जोत वाले छोटे किसानों को वानिकी हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विशेष अनुदान राशि देने का प्रावधान किया जायेगा। परन्तु इसके कारण कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न होने देना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3.8.3 पंच 'ज' अवधारण के अनुरूप वृक्षारोपण के प्रति जनता का जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु आम जनता, ग्राम पंचायतों, वन समितियों, अशासकीय संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से शासकीय वृक्षारोपणों के अतिरिक्त प्रथम चरण में आगामी तीन वर्षों में कम से कम प्रदेश की जनसंख्या के बराबर अतिरिक्त वृक्ष लगाये जायेंगे। इस के उपरान्त सतत् रूप से यह अभियान जारी रखा जायेगा।

- 3.8.4 विस्तार वानिकी हेतु कृषकों को निजी रोपणी स्थापित कर पौधे तैयार करने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा। शेष पौधों एवं बीज की पूर्ति वन विभाग द्वारा की जायेगी।
- 3.8.5 कृषकों को निजी भूमि पर अधिक से अधिक फलदार एवं खाद्य पदार्थ देने वाली वृक्ष प्रजातियों के रोपण हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु उन्हें महुआ, चिरौंजी आदि महत्वपूर्ण फलदार एवं खाद्य प्रजातियों के पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जायेंगे।
- 3.8.6 कृषकों को निजी भूमि में औषधीय पौधों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 3.8.7 ग्रामीण क्षेत्रों में काष्ठ की मांग का विकल्प देने एवं बांस को ग्रामीणों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाने के लिए ग्रामीणों को उनके घरों की बाड़ी में बांस रोपण हेतु प्रेरित किया जायेगा एवं इसके लिए ग्रामीण रोपणियों की व्यवस्था की जायेगी।
- 3.8.8 जैव इंधन को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में प्राप्त हो रही मान्यता के दृष्टिगत एनर्जी प्लांटेशन तथा बायो-डीजल देने वाली प्रजातियों, जैसे रतनजोत के रोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 3.8.9 जलाऊ ईंधन की मांग में कमी लाने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, उन्नत चूल्हों आदि के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु वनों पर आश्रित समुदायों को प्रेरित करने हेतु इन समुदायों, विशेषकर महिलाओं, को सीमित अवधि के लिए कुकिंग गैस, गोबर गैस प्लांट सहित अन्य ऊर्जा के वैकल्पिक साधन रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जायेंगे। विद्युत रहित ग्रामों में लैन्टाना, घास, चारे आदि अन्य कृषिजन्य अनुपयोगी उत्पादों से चलाए जाने वाले गैसीफायर/मिनी पावर प्लान्ट स्थापित किये जायेंगे।
- 3.8.10 निजी क्षेत्रों में वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु आधुनिक तकनीकों, जैसे टिशू क्लचर, उन्नत किस्म के बीज एवं पौधे का उपयोग किया जायेगा। प्रजातियों के चयन में किसानों एवं वनाधारित उद्योगों की मांग को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 3.8.11 विस्तार वानिकी अपनाने वाले किसानों/व्यक्तियों को उनके उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन हेतु आवश्यक जानकारी एवं कौशल उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3.8.12 विस्तार वानिकी के अंतर्गत निजी भूमि पर उगे सागौन सहित सभी प्रजातियों के वृक्षों को काटने परिवहन करने एवं विपणन करने में वर्तमान में भूमि स्वामी को आ रही अड़चनों को दूर करने हेतु नियमों को इतना सरल किया जायेगा कि कोई भी

किसान/व्यक्ति/उद्योग अन्य कृषि फसलों की तरह ही वृक्षारोपण से प्राप्त वनोपज का विदोहन, परिवहन एवं विपणन कर सकें।

3.8.13 विस्तार वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसी निजी भूमि, जिस पर वृक्ष उगाये गये हों, का आवश्यकता होने पर शासन द्वारा अधिग्रहण उस भूमि एवं उरा पर खड़े वृक्षों का पूर्ण मुआवजा भुगतान करने के उपरांत ही किया जायेगा।

3.8.14 गांवों की अधिवासित भूमि पर फलदार वृक्षों के रोपण के साथ-साथ अन्य उपयोगी प्रजातियों, जैसे रतनजोत, करंज आदि के रोपण को बढ़ावा देने हेतु भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 239 में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

3.9 वनाधारित उद्योग

3.9.1 प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय समुदायों के रोजगार में वनाधारित उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमि के दृष्टिगत संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर वनाधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

3.9.2 वनाधारित उद्योगों जैसे हर्बल औषधि, लाख उत्पादन, अगरबत्ती काड़ी निर्माण, शहद उत्पादन, बायो डीजल उत्पादन एवं काष्ठ शिल्प आदि की प्रदेश की अर्थ व्यवस्था एवं रोजगार के क्षेत्र में विपुल संभावनाओं के दृष्टिगत उन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

3.9.3 वनाधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति स्वयं करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु ऐसा वैधानिक एवं प्रशासनिक वातावरण तैयार किया जायेगा जिससे वनाधारित उद्योग पड़त भूमि पर एवं किसानों के सहयोग से उनकी निजी भूमि पर वनीकरण कर सकें। फिर भी यदि आपूर्ति पूर्ण नहीं हो पाती है तो वन विभाग यथा संभव बाजार मूल्यों पर उक्त मांग की पूर्ति करेगा।

3.9.4 लैण्ड सीलिंग एक्ट एवं अन्य भूमि संबंधी कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा ताकि बड़े पैमाने पर निजी भूमि पर वनीकरण का कार्य हो सके ताकि निवेशक एवं किसान दोनों ही इस कार्य की ओर आकर्षित हो सकें। परन्तु इसके कारण कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न होने देना सुनिश्चित किया जायेगा।

3.9.5 छोटे एवं मध्यम कृषकों को मेड़ एवं बंजर भूमि पर उद्योगों के उपयोग में आने वाली प्रजातियां लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही शासकीय भूमि, जो

